

विचार बिन्दु

सुन्दर चेहरा सबसे अच्छा प्रशंसापात्र है। –रानी एलिजाबेथ

सोनम वांगचुक होने के मायने

26 सितंबर 2025 को लद्दाख में सोनम वांगचुक को देशद्रोह के आरोप में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के अंतर्गत गिरफ्तार कर लिया गया। इसके एक दिन पूर्व लेह में लद्दाख के युवाओं द्वारा भाजपा के राज्य कार्यालय पर पथराव किया गया एवं आगजनी की गई। उपद्रवी भीड़ पर पुलिस द्वारा गोली चलाई गई, जिसमें चार युवाओं की मृत्यु हो गई और 50 अन्य घायल हो गए।

यह उल्लेखनीय है कि सोनम वांगचुक तब से यह आंदोलन चला रहे थे जब से लद्दाख को जम्मू कश्मीर से अलग एक संघ शासित प्रदेश घोषित किया गया था। उनकी मांग थी कि लद्दाख की सांस्कृतिक विशेषताओं और भौगोलिक स्थिति को देखते हुए उसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए एवं साथ ही इसे भारतीय संविधान की अनुसूची 6 में शामिल किया जाए। इस अनुसूची में सम्मिलित होने का तात्पर्य है कि भूमि के प्रबंधन और निष्पादन का अधिकार स्थानीय स्तर को स्वायत्त शासी संस्था को मिल जाता है और वहां की सांस्कृतिक विरासत और विशिष्ट पहचान को बनाए रखने के विशेष प्रयास सरकार द्वारा किए जाते हैं। वर्तमान में असम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय छठी अनुसूची में सम्मिलित हैं।

लद्दाख एक सीमावर्ती क्षेत्र है और चीन एवं पाकिस्तान से इसकी सीमा लगती है। यहां के नागरिक देश के सर्वाधिक शांतिप्रिय नागरिकों में गिने जाते हैं। जो भी पर्यटक इस क्षेत्र में जाते हैं वे वहां की सादगी और आवागमन से अभिभूत होकर लौटते हैं। मुझे भी 2018 में लद्दाख जाने का अवसर मिला था और मैंने इस धारणा को पूरी तरह सही पाया।

ऐसे शांतिप्रिय क्षेत्र में पुलिस की गोली द्वारा लोगों का मारे जाना एक अप्रत्याशित घटना थी। इस घटना के लिए सोनम वांगचुक को दोषी मानते हुए उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और जोधपुर के सेंट्रल जेल में बंद कर दिया गया। लद्दाख में कर्फ्यू लगा दिया गया और इंटरनेट सेवाएं भी बंद कर दी गई हैं। उन पर आरोप है कि उन्होंने लोगों को हिंसा के लिए उकसाया।

जितने भी वीडियो सोशल मीडिया पर उपलब्ध हैं, उनमें सोनम वांगचुक स्वयं, लगातार यह अपील करते दिखाई दे रहे हैं कि उनका आंदोलन अहिंसक है और वह किसी भी प्रकार की हिंसा का समर्थन नहीं करते हैं। उन्होंने इस हिंसा की निंदा की और अपना आमरण अनशन भी समाप्त कर दिया।

गत 5 वर्ष में उनके द्वारा अनेक बार अपनी मांगों के समर्थन में शांतिपूर्वक अनशन किए गए। उन्होंने 125 लोगों के साथ दिल्ली तक की पदयात्रा की (यह अलग बात है कि उन्हें दिल्ली में प्रवेश नहीं करने दिया गया), किंतु कभी भी उन्होंने हिंसा का सहारा नहीं लिया। यह एक विडंबना ही है कि केंद्र सरकार ने उनसे इस बारे में कोई बात नहीं की एवं उनकी मांगों का कोई सकारात्मक समाधान निकालने का प्रयास नहीं किया।

इससे पहले कि पाठक सोनम वांगचुक के बारे में कोई राय बनाएं, उनके लिए कुछ तथ्य प्रस्तुत करने उपयुक्त होंगे।

सोनम वांगचुक का जन्म लद्दाख के अलेची गांव में 1966 में हुआ एवं उन्होंने श्रीनगर के राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान से 1988 में मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिग्री प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने आर्किटेक्चर में फ्रांस से विशेष डिप्लोमा भी किया। उन्होंने पहले सेकमोल (स्टूडेंट्स एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख) और बाद में “इंस्टिट्यूट ऑफ हिमालयन अल्टरनेटिव्स” के नाम से संस्था स्थापित की। उनका उद्देश्य लद्दाख क्षेत्र की भौगोलिक और सांस्कृतिक विरासत के अनुसार शिक्षा के लिए काम करना था, ताकि पढ़ाई के साथ-साथ अपने पर्यावरण की रक्षा भी विद्यार्थी कर सकें।

पाठकों को याद होगा कि 3 इंडियन फिल्म जो कि अत्यधिक सफल फिल्म मानी जाती है, सोनम वांगचुक की शिक्षा सम्बंधित सोच पर ही आधारित थी। फिल्म के अंत में उन्हें शायद दिखाया भी गया। वे पर्यावरण के संरक्षण और अपनी सांस्कृतिक पहचान को बचाए रखने के आंदोलन में लगातार लगे रहे। वे 1996 से लगातार लद्दाख को अलग राज्य बनाने की मांग कर रहे थे। लद्दाख में अधिकांश व्यक्ति बौद्ध धर्म को मानते हैं। वांगचुक ने लेह में एक ऐसा स्कूल बनाया जिसका निर्माण स्थानीय जलवायु को ध्यान में रखकर स्थानीय सामग्री से किया।

उन्हें उनके नवाचारों के लिए दुनिया के विभिन्न देशों से न केवल सम्मान मिला अपितु उन्हें अपनाया भी गया। उनकी एक शैक्षिक संस्था है जिसके माध्यम से वह निरंतर इस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। यह उल्लेख करना उचित होगा कि कुछ वर्षों पूर्व सोनम वांगचुक ने एक विशेष प्रकार के मोबाइल टेंट का निर्माण किया जो शून्य से 15-20 डिग्री नीचे तक के तापमान में भी अन्दर से गरम रहता है। यह नवाचार उन्होंने विशेष रूप से पहाड़ों में तैयार भारतीय सैनिकों के उपयोग के लिए किया था।

अगस्त 2019 में जब लद्दाख को अलग संघ शासित क्षेत्र घोषित कर दिया गया, तो सोनम वांगचुक ने भारत सरकार की सराहना की थी एवं इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद भी दिया था। उसके बाद उन्होंने लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने और इसे संविधान की छठी अनुसूची में शामिल करने का आंदोलन प्रारंभ किया। लेवे संघर्ष के बाद भी जब वहां के लोगों को इस बारे में कोई विशेष सफलता मिलती हुई नहीं दिखाई दी तो उनका उद्देलित होना स्वाभाविक था। इसके बावजूद भी वांगचुक ने लगातार अपने आंदोलन को अहिंसक ही बनाए रखा।

सोनम वांगचुक नवाचारों के प्रति एवं अपने देश के प्रति कितने समर्पित है और कितने शांतिपूर्ण तरीके से अपने कार्य को कर रहे थे उसका मूल्यांकन उन्हें मिले कई प्रकार के सम्मानों से किया जा सकता है। उन्हें कई प्रकार के सम्मान प्राप्त हुए, जिनमें प्रमुख निम्न प्रकार हैं:–

- रेमन मैग्सेसे अवार्ड, 2018

उनकी गिरफ्तारी का क्या प्रभाव उस क्षेत्र के युवाओं पर होगा, यह तो आने वाला समय बताएगा। संभव है, इसके बाद लद्दाख क्षेत्र को राज्य घोषित करने और उसे संविधान की छठी अनुसूची में सम्मिलित करने की मांग धीरे-धीरे समाप्त हो जाए। किंतु ऐसा करके, क्या सरकार उस क्षेत्र के निवासियों का और स्वयं देश का भला करेगी? इसका उत्तर तो लोगों को स्वयं खोजना है।

- उपेन्द्र नाथ ब्रह्मा सोल्वर ऑफ ब्लूमैनिटी अवार्ड 2023
- मानवता के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए
- ग्लोबल अवार्ड फॉर सर्टेनेबल आर्किटेक्चर, 2017
- जी क्यू (GQ) मैन ऑफ दी ईयर, 2017
- सामाजिक उद्यमिता के क्षेत्र में उनके कार्य के लिए
- यूनेस्को चेयर अर्थन आर्किटेक्चर अवॉर्ड, 2014
- यूनेस्को द्वारा पृथ्वी आधारित वास्तुकला के लिए
- अशोका फेलोशिप
- आई आई टी मंडी द्वारा “एममेंट टेक्नोलॉजिस्ट” अवार्ड

उन्हें कई विश्व विद्यालयों ने मानद डॉक्टरेट की उपाधि भी प्रदान की

सोनम वांगचुक ने 1988 में लद्दाख के छात्रों के शैक्षिक और सांस्कृतिक आंदोलन की स्थापना की और तब से वे लगातार इसका नेतृत्व कर रहे हैं।

उन्हें शैक्षिक नवाचार के लिए कई संस्थाओं एवं सरकारों द्वारा विजन डॉक्यूमेंट बनाने के लिए कहा गया। इनका यह मानना है कि स्थानीय परिवेश और पर्यावरण के अनुसार शिक्षा को पुन: परिभाषित किया जाना चाहिए। वे अंग्रेजी पद्धति की शिक्षा को लद्दाख क्षेत्र में थोपने के विरोध में थे।

इंडियन फॉर कंटीब्रिटच एक्शन सम्मान सेन फ्रांसिस्को, विद्यालयों द्वारा मानद डॉक्टरेट की डिग्री भी प्रदान की गई।

उन्होंने 1994 में सरकार और समुदाय के सहयोग से शिक्षा में सुधार के लिए “ऑपरेशन न्यू होप” नाम से एक कार्यक्रम प्रारंभ किया, जिसका उद्देश्य नई प्रकार की नवाचारी शिक्षा पद्धति को स्थापित करना था।

ऊपर दिए गए विवरण से यह तो स्पष्ट होगा कि सोनम वांगचुक शिक्षा और सांस्कृतिक क्षेत्र में नवाचार के माध्यम से कई प्रयोग कर रहे थे जिन्हें स्थानीय समुदाय का भी बहुत समर्थन मिल रहा था। अपने क्षेत्र की पहचान बनाए रखने के लिए ही लद्दाख शिक्षा और सांस्कृतिक आंदोलन के माध्यम से लगातार कार्य कर रहे थे।

जब 24 सितंबर को हिंसक वारदात हुई तो सोनम वांगचुक ने न केवल इस पर बहुत दुःख प्रकट किया अपितु इसकी निंदा भी की। उन्होंने यहां तक कहा कि 5 वर्ष के उनके अहिंसक आंदोलन को इन हिंसक घटनाओं ने बहुत क्षति पहुंचाई है। उन्होंने अपना आमरण अनशन भी इसीलिए समाप्त किया। जब 26 सितंबर को वे एक प्रेस वार्ता को संबोधित करने वाले थे, उसके पहले ही उन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा कानून में गिरफ्तार कर जोधपुर जेल में बंद कर दिया गया है।

सोनम वांगचुक की संस्था का एक सी आर ए का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। उन पर यह आरोप लगाया गया है कि उन्होंने विदेशों से पांच लाख रुपए कमाए। वांगचुक ने कहा कि वे लद्दाख में गिने-चुने व्यक्तियों में है जो आयकर देते हैं। उल्लेखनीय है कि लद्दाख में आयकर देय नहीं है। उनकी कमाई का माध्यम उनके द्वारा किए गए नवाचार एवं उनके पेटेंट विदेशियों द्वारा खरीदना रहा है।

उनकी गिरफ्तारी का क्या प्रभाव उस क्षेत्र के युवाओं पर होगा, यह तो आने वाला समय बताएगा। संभव है, इसके बाद लद्दाख क्षेत्र को राज्य घोषित करने और उसे संविधान की छठी अनुसूची में सम्मिलित करने की मांग धीरे-धीरे समाप्त हो जाए। किंतु ऐसा करके, क्या सरकार उस क्षेत्र के निवासियों का और स्वयं देश का भला करेगी? इसका उत्तर तो लोगों को स्वयं खोजना है।

सोनम वांगचुक के बारे में उपरोक्त विवरण इसी उद्देश्य से दिया गया है कि पाठक उनके बारे में स्वयं निर्णय कर सकें कि क्या वे वास्तव में देशद्रोही हैं? क्या सरकार के विरुद्ध आवाज उठाना या सरकार से अहिंसक आंदोलन के माध्यम से मांग करना देशद्रोह है? देश में कई ऐसे व्यक्ति हैं जो तथाकथित देशद्रोह के आरोप में अनिश्चित काल से जेलों में बंद हैं।

अब देखना यह है कि लद्दाख की समस्या का हल, भारत सरकार किस प्रकार निकालती है? लोकतंत्र में समस्या का हल, नागरिकों के मौलिक अधिकारों के हनन और दमन के बजाय संवाद के माध्यम से हो, तो अधिक अच्छा होगा। जब सरकार अपने ही नागरिकों के तब नहीं करेगी, तो फिर समस्या का हल कैसे निकलेगा? प्रधानमंत्री मोदी ने तो स्वयं कहा है कि आलोचना लोकतंत्र की आत्मा है। देश की सुरक्षा की दृष्टि से भी यह आवश्यक है कि सीमा वर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों का विश्वास सरकार जीते। सबको लद्दाख की वासियों की समस्या का हल शांतिपूर्वक संवाद से निकलने की आशा है, जिसकी पहल तो सरकार को ही करनी होगी।

–अतिथि सम्पादक, राजेन्द्र भाणावत (पूर्व आई.ए.एस. अधिकारी)



जुगल किशोर बिस्सा

पोकरण परमाणु नगरी पोकरण से करीब तीन किलोमीटर पश्चिम दिशा में स्थित मां आशापुरा मंदिर भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला सिद्ध शक्तिपीठ है। यह मंदिर नौ दुर्गा मंदिरों

में प्रमुख माना जाता है और शक्ति व भक्ति का अनूठा संगम प्रस्तुत करता है।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि :- भाट बही के अनुसार संवत 1315 माघ सुदी तीज को बिस्सा कुलदीपक लुणभाण जी बिस्सा प्रतिदिन कच्छ-भुज जाकर मां आशापूरा की पूजा-अर्चना करते थे। वृद्धावस्था में कठिनाई होने पर उन्होंने मां से निवेदन किया कि उनका परिवार जैसलमेर जिले के रूढवा गांव में निवास करता है और वहां से दर्शन करना कठिन है। भक्त की भक्ति से प्रसन्न होकर मां ने वचन दिया- आगे-आगे लुणभाण जी चलेंगे और पीछे-पीछे मैं चलूंगी, किंतु यदि पीछे मुड़कर देखा तो मैं वहीं ठहर जाऊंगी।

घनगंग जंगलों के बीच चलते हुए



मां के अनन्य भक्त शिरोमणि लुणभाणजी बिस्सा को संदेह हुआ कि मां वास्तव में साथ चल रही है या नहीं। संदेहवश पीछे देखने पर मां आशापूरा

वहीं पृथ्वी में समा गई। उस स्थान पर आज भी दुपट्टा चिन्ह मौजूद है और मां का भव्य दरबार सजा हुआ है। मंदिर में अखंड घी की ज्योति प्रज्वलित रहती है। जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, फलोदी, मुंबई, कोलकाता और गुजरात सहित देशभर से श्रद्धालु यहां दर्शन करने पहुंचते हैं। साल में दो बार भव्य मेले का आयोजन होता है, जिसमें हजारों भक्त शामिल होते हैं। करीब 700 वर्षों से बिस्सा परिवार मंदिर की सेवा व देखरेख करता आ रहा है। पूजनीय दुगारदास जी बिस्सा और मोहनलाल जी बिस्सा ने लगभग 100 वर्षों तक मां की पूजा-अर्चना व व्यवस्था संभाली। वर्तमान में मां आशापूरा नीज मंदिर ट्रस्ट पोकरण प्रबंधन करता है।

मंदिर परिसर की सुविधाएं : विशाल हॉल, 30 कमरे, स्नान-शौचालय, बिजली-पानी व प्याऊ की व्यवस्था। यात्रियों के ठहरने के लिए धर्मशाला भी बनाई गई है।नेशनल हाईवे से सीधा सड़क मार्ग व रोशनी की सुविधा उपलब्ध। सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार मां आशापुरा दरबार की करीब 3.5 बीघा जमीन दर्ज है। परिसर में बने सुंदर तालाब व हरियाली भक्तों को आकर्षित करते हैं। भक्तों की अशाएं पूर्ण करने वाला यह पावन स्थल आज पोकरण की शक्ति और भक्ति आराधना का त्रिवेणी संगम है। जगत जननी मां आशापूर्णा का यह मंदिर पूरे देश में ब्रह्मा और आस्था का प्रतीक बन चुका है।

–जुगल किशोर बिस्सा, प्रेस रिपोर्टर पोकरण

अनावश्यक स्पीड ब्रेकर बनाना अनुचित



प्रो. कैलाश सोडानी

स्पीड ब्रेकर देश भारत में आपका स्वागत है। स्पीड ब्रेकर का अविष्कार प्रसिद्ध भौतिक वैज्ञानिक नोबेल पुरस्कार विजेता आर्थर होली कॉम्प्टन ने 1950 में किया। सड़क पर स्पीड ब्रेकर वाहनों की गति को कम करने के लिए बनाये जाते हैं, विशेष रूप से उन जगहों पर जहाँ दुर्घटनाओं का खतरा अधिक होता है, जैसे—कूल,

अस्पताल या आवासीय क्षेत्रों के पास सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ब्रिटेन में, इन्हें मजाकिया अन्दाज में ‘स्लीपिंग पुलिस आफिसर्स’ कहा जाता है। दुर्घटनाओं को रोकने के लिए बने स्पीड ब्रेकर आज दुर्घटना का कारण बनते जा रहे हैं।स्पीड ब्रेकर अपने लक्ष्य से विचलित ही नहीं विपरीत हो चुके हैं। दुनिया में भारत के विशाल एवं खूबसूरत सड़क नेटवर्क पर स्पीड ब्रेकर एक कोल ठोकने का काम कर रहे हैं। लोगों के भय एवं हादसों का कारण बन गये हैं। चिन्ता का विषय यह है कि शासदात सड़कों एवं गाड़ियों के बावजूद चाल धीमी होती जा रही है। देश का लगभग 87 प्रतिशत यात्री यातायात और 60 प्रतिशत माल यातायात सड़क परिवहन से होता है।

स्पीड ब्रेकर के मानक तय है। स्पीड ब्रेकर कहीं बनने चाहिये यह लिखा हुआ है। स्पीड ब्रेकर की सड़क से ऊँचाई निश्चित कर रखी है। स्पीड ब्रेकर दूर से दिखाई देवे, इसलिए कलर

तथा डिजाइन निर्धारित है। भारतीय सड़क कांग्रेस ने 1996 में स्पीड ब्रेकर बनाने के सम्बन्ध में दिशा निर्देश बनाए। इन निर्देशों के मुताबिक एक आदर्श स्पीड ब्रेकर की ऊँचाई 10 सेंटीमीटर, लम्बाई 3.5 मीटर और कर्वेचर रेडियस 17 मीटर होनी चाहिये। इन मापदण्डों का पालन मात्र राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा निर्मित सड़को पर ही हो रहा है। जो कुल सड़कों का केवल 2 प्रतिशत ही है।

98 प्रतिशत सड़कों पर स्पीड ब्रेकर बनाने के मामले में मापदण्डों का खुला उल्लंघन हो रहा है। विदेशों में सैकड़ों-हजारों किलोमीटर सड़क यात्रा में भी स्पीड ब्रेकर के दर्शन दुर्लभ है। हमारे देश में पहली समस्या तो यह है कि स्पीड ब्रेकर किसी की भी इच्छा से, कहीं पर भी बनाये जा सकते हैं। दूसरा इनकी ऊँचाई तथा डिजाइन निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप नहीं है। बिना मापदंड के बने हुए स्पीड ब्रेकर स्वयं ही दुर्घटना का कारण बनते जा रहे है।

लाखों किलोमीटर सड़कों का नेटवर्क, जिस पर हमें गर्व है, अभिमान है, को स्पीड ब्रेकर्स ने बोना बना दिया। हमारे देश में वो.आई.पी. एवं पुलिस अधिकारियों के घरों के बाहर, थानों एवं विद्यालयों के सामने स्पीड ब्रेकर के दर्शन अवश्य होंगे। स्वच्छता मामले में देश में पहला स्थान सुशोभित करने वाला शहर इन्दौर की चाल को वहाँ अनावश्यक बने हुए स्पीड ब्रेकर्स ने बहुत धीमा कर दिया। परिणामस्वरूप जिला प्रशासन ने निर्णय लिया कि बिना सड़क अनुमति के स्पीड ब्रेकर बनाये जाने पर एक लाख रु. का जुर्माना लगेगा। यहाँ मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा। उदयपुर में मेरे आवास के पास ही सेंट मैरी स्कूल है। उसके मुख्य द्वार के बाहर तीन दिशाओं में सड़के बनी हुई हैं। तीनों सड़कों पर स्पीड ब्रेकर बने हुए हैं। 24 घण्टे में यहाँ से गुज़रने वाले मेरे जैसे मुसाफिरों को कष्ट तो होता है। इस कष्ट को कम करने के लिए मेरा सुझाव है— विद्यालय खुलने एवं बंद

होने के समय एक-एक घंटा मोबाइल अवरोधक लगा देना चाहिए जिससे विद्यार्थी भी सुरक्षित रहेंगे और मुसाफिर भी 22 घण्टे आराम से यात्रा करेंगे। सड़कों की आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका के रहली बार रेखांकित किया माननीय अटल बिहारी वाजपेयी ने। उन्हीं की सोच एवं दूरदृष्टि से देश आज फोर लेन, सिक्स लेन, एट लेन तथा एक्सप्रेस हाइवे पर तेजी से दौड़ रहा है। हमारी अर्थव्यवस्था को जबरदस्त गति प्रदान की है। अनावश्यक स्पीड ब्रेकर बना-बना के इस गति को कम करने की धृष्टता नहीं करना चाहिये। नागरिकों को भी ट्राफिक नियमों का सख्ती से पालन करना चाहिये। देश को गतिमान बनाए रखने के लिये अनावश्यक एवं बिना मापदंड के स्पीड ब्रेकर बनाने की रपतार को रोकना ही, समय की मांग है।

—प्रो. कैलाश सोडानी, पूर्व कुलगुरु, वर्धमान महावीर खुला विवि, कोटा

वित्तीय समावेशन में राजस्थान अग्रणी

आमजन की अब बैंकिंग सेवाओं से लेकर सामाजिक सुरक्षा तक सर्वभौमिक पहुंच



चेतन प्रकाश मण्डावरिया

भारत जैसे विविध और विशाल प्रजातांत्रिक देश में, सशक्त राष्ट्र निर्माण की पहली शर्त है कि हर नागरिक को आर्थिक सशक्तिकरण हेतु समान अवसर देना। आर्थिक समावेशन और सामाजिक सुरक्षा इसी उद्देश्य को साकार करने के दो सबसे महत्वपूर्ण माध्यम हैं। वित्तीय समावेशन और सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा 1 जुलाई 2025 से 30 सितंबर 2025 तक चलाए जा रहे त्रैमासिक देशव्यापी संतुष्टि अभियान में राजस्थान ने उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है, जिनका प्रभाव केवल आँकड़ों तक सीमित नहीं है, बल्कि करोड़ों ज़िंदगियों में स्थायी बदलाव लाने की क्षमता रखता है। अभियान की प्रगति के अनुसार, 26 सितंबर 2025 तक राजस्थान में 85,82,997 लोगों को लाभान्वित किया जा चुका है, जो देश में सर्वाधिक है। वर्तमान संतुष्टि अभियान के दौरान राजस्थान दिनांक 25.09.2025 तक कुल 84,89,142 लाभार्थी के साथ उत्तर

प्रदेश (76,54,213 लाभार्थी), बिहार (68,11,351 लाभार्थी) ओडिशा (53,15,454 लाभार्थी) मध्य प्रदेश (51,26,863 लाभार्थी), जैसे राज्यों को पीछे छोड़ते हुए प्रथम स्थान पर हैं। राज्य स्तर पर शिविरों के आयोजन की बात करें तो, वर्तमान संतुष्टि अभियान के तहत दिनांक 25.09.2025 तक राजस्थान की 11,200 ग्राम पंचायतों में से 10,903 ग्राम पंचायतों में अभियान के अंतर्गत शिविर आयोजित किए जा चुके हैं। वहीं, उत्तर प्रदेश की 57,000 ग्राम पंचायतों में से 53,848 में शिविर लगाए जा चुके हैं। यह प्रदर्शन न केवल राजस्थान की प्रतिबद्धता को दर्शाता है, बल्कि यह भी सिद्ध करता है कि सरकार, सामाजिक न्याय और समावेशी विकास की दिशा में ठोस कदम उठा रही है। सरकार की यह रणनीति उन नागरिकों, विशेष रूप से ग्रामीण, गरीब और असंगठित क्षेत्र के लोगों तक पहुँचने पर केंद्रित रही है, जो अब तक वित्तीय समावेशन एवं सामाजिक सुरक्षा की दृष्टि से वंचित थे। राज्य सरकार के सभी हितधारकों के साथ समन्वयपूर्ण तरीके से किये गये गंभीर प्रयासों के परिणामस्वरूप राज्य में जो बदलाव आया है, उसकी झलक स्पष्ट रूप से नजर आ रही है। इस अभियान के अंतर्गत राजस्थान ने सरकार की प्रमुख बैंकिंग सेवाओं/योजनाओं की पहुँच को लगभग सार्वभौमिक स्तर तक पहुँचाया है। किसी भी जन कल्याणकारी योजना की पहली आवश्यकता है कि प्रत्येक

व्यक्ति का एक बैंक खाता हों। बिना बैंकिंग पहुँच के, लाभार्थी न केवल सरकारी योजनाओं से वंचित रह जाते हैं, बल्कि वे आर्थिक रूप से असुरक्षित भी रहते हैं। दिनांक 30.06.2025 तक राज्य में 3.71 करोड़ प्रधानमंत्री जन-धन खाते हैं। वर्तमान संतुष्टि अभियान में दिनांक 26.09.2025 तक 7,47,737 से अधिक जनधन खाते ऐसे नागरिकों के लिए खोले गए, जो पहले कभी बैंकिंग सेवाओं से नहीं जुड़े थे। यह संख्या केवल एक आंकड़ा नहीं है, बल्कि यह संकेत है उस नए समाधान का, जो एक असहाय ग्रामीण महिला को, एक वृद्ध किसान को, या एक असंगठित मजदूर को पहली बार आर्थिक पहचान और सुरक्षा प्रदान करता है। राजस्थान ने इस पहलू को विशेष प्राथमिकता दी और राज्य भर में लाखों नागरिकों को जीवन और दुर्घटना बीमा के दायरे में लाया है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना एवं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना अन्तर्गत दिनांक 30.06.2025 तक राज्य में क्रमशः 1.20 करोड़ एवं 2.70 करोड़ व्यक्ति नामांकित है। यही नहीं, दिनांक 26.09.2025 तक 1,40,784 नागरिकों को अटल पेंशन योजना से जोड़ना इस बात का प्रमाण है कि अब असंगठित क्षेत्र के श्रमिक भी वृद्धावस्था के लिए सुरक्षित भविष्य का निर्माण कर रहा है।

जन आधार प्लेटफॉर्म आज राजस्थान में सुशासन की एक सशक्त नींव बन चुका है, जो सामाजिक सुरक्षा और समावेशी विकास को मजबूती से आगे बढ़ा रहा है। अब पेंशन, छात्रवृत्ति,

बीमा राशि, खाद्य सुरक्षा या कृषि सब्सिडी – सभी लाभ सीधे लाभार्थी के आधार-लिंकड बैंक खाते में ट्रांसफर किए जाते हैं। इससे भ्रष्टाचार, देरी, और फर्जों लाभार्थियों को समस्या लगभग समाप्त हो गई है। इस प्रक्रिया ने न केवल राज्य के वित्तीय संसाधनों को बचाया, बल्कि जनता में सरकार के प्रति विश्वास भी मजबूत किया है। डिजिटल युग में वित्तीय समावेशन के साथ ही डिजिटल सुरक्षा भी अनिवार्य हो गई है। राजस्थान ने यह महसूस किया कि जितनी तेजी से डिजिटल लेन-देन बढ़ रहे हैं, उतनी ही तेजी से साइबर धोखाधड़ी के खतरे भी बढ़ रहे हैं। इसलिए राज्य ने एक व्यापक साइबर सुरक्षा जागरूकता अभियान चलाया, जिसमें नागरिकों को साइबर सुरक्षा के प्रति सजग किया गया।

यह पहल अनुठी इसलिए भी है क्योंकि यह केवल तकनीकी समाधान नहीं, बल्कि सामाजिक चेतना की नींव पर खड़ी है। इसके कारण राजस्थान में साइबर अपराध की दर देश के अन्य राज्यों की तुलना में काफी कम है – यह राज्य के सतर्क नागरिकों और जागरूक प्रशासन दोनों की संयुक्त उपलब्धि है।

राज्य सरकार ने योजनाओं से क्रियान्वयन को केवल शासकीय स्तर पर सीमित नहीं रखा, बल्कि उसे ग्राम पंचायतों, स्थान्य सहायता समूहों (एडे), स्वयंनीय बैंक प्रतिनिधियों, बैंक मित्रों और फ्रंटलाइन अधिकारियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं के सहयोग से जमीनी स्तर तक पहुँचाया। हर गाँव में वित्तीय साक्षरता शिविर, नामांकन अभियान, और तत्काल शिकायत

समाधान व्यवस्था शुरू की गई, जिससे लोगों को न केवल जानकारी मिली बल्कि विश्वास और जन भागीदारी की भावना भी उत्पन्न हुई। महिला सशक्तिकरण को भी इस अभियान का केन्द्रीय स्तंभ बनाया गया, जिससे सारी वर्ग को आर्थिक निर्णयों में अधिक सक्रिय भूमिका मिली। आज राजस्थान वित्तीय-समावेशन एवं सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में न केवल देश में अग्रणी राज्य बन चुका है, बल्कि उसने यह साबित कर दिया है कि यदि सही नीति, तकनीकी नवाचार, प्रशासनिक समन्वय और जन-भागीदारी को एक साथ जोड़ा जाए, तो स्थायी और सर्वसमावेशी परिवर्तन संभव है। अब यह आवश्यक है कि यह संतुष्टि अभियान हर गाँव, हर नगर, और हर परिवार तक पहुँचे। राज्य सरकार सभी नागरिकों से आह्वान करती है कि वे पात्र व्यक्तियों तक सभी सरकारी योजनाओं का लाभ पहुँचाने में सहयोग प्रदान करें, अपने परिवार और समुदाय को जागरूक करें, और इस अभियान को जनांजलित बनाएं। ग्राम स्तर के नेता, शिक्षक, स्वयंसेवी संस्थाएं और प्रशासनिक अधिकारी – सभी को मिलकर यह सुनिश्चित करना है कि राजस्थान का कोई भी नागरिक वित्तीय सुरक्षा और गरिमापूर्ण जीवन से वंचित न रह जाए।

—चेतन प्रकाश मण्डावरिया, संयुक्त शासन सचिव, (संस्थागत वित्त एवं पीपीजी),

आयोजना विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर

राशिफल मंगलवार 30 सितम्बर, 2025



पंडित अनिल शर्मा

आश्विन मास, शुक्ल पक्ष, अष्टमी तिथि, मंगलवार, विक्रम संवत 2082, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र बुधवार प्रातः 8:06 तक, शोभन योग रात्रि 1:03 तक, बव करण सायं 6:07 तक, चन्द्रमा धनु राशि में संचार करेगा।

ग्रह स्थिति: सूर्य-कन्या, चन्द्रमा-धनु, मंगल-तुला, बुध-कन्या, गुरु-मिथुन, शुक्र-सिंह, शनि-मीन, राहु-कुम्भ, केतु-सिंह राशि में।

आज दुर्गाष्टमी महाष्टमी, भौमाष्टमी, सरस्वती पूजन, अन्नपूर्णा परिक्रमा सायं 6:07 पर पूर्ण होगी।

श्रेष्ठ चौघड़िया: चर 9:20 से 10:48 तक, लाभ-अमृत 10:48 से 1:46 तक, शुभ 3:14 से 4:43 तक।

राहूकाल: 3:00 से 4:30 तक। सूर्योदय 6:23, सूर्यास्त 6:11

मेघ



परिवार में शुभ संदेश प्राप्त होगा। शुभ कार्यों से संबंधित यात्रा हो सकती है। धार्मिक स्थान की यात्रा संभव है। व्यावसायिक कार्यों के लिए भागदौड़ रहेगी।

वृष



चन्द्रमा अष्टम भाव में शुभ नहीं है। शुभ कार्यों में व्यवधान हो सकते हैं। आवश्यक कार्यों में विलम्ब हो सकता है। आज बनते कार्य बिगड़ सकते हैं।

मिथुन



परिवार में धार्मिक-मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। आज परिजनों के सहयोग से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

कर्क



व्यक्तिगत परेशानियों से राहत मिलेगी। दिनचर्या में सुधार होगा। विवादित मामलों का निपटारा हो सकता है। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

सिंह



परिवार में शुभ-मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। आज महत्वपूर्ण कार्यों के संबंध में उचित सोच-विचार हो सकता है। व्यावसायिक कार्यों से संबंधित आर्थिक समस्या का समाधान हो सकता है।

कन्या



घर-परिवार में धार्मिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। परिवार में सुख-सुविधाएं बढ़ेंगी। व्यावसायिक कार्यों में व्यस्तता बनी रहेगी। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।

तुला



व्यावसायिक वार्ता सफल रहेगी। व्यावसायिक प्रयासों में उचित सफलता मिलेगी। आर्थिक मामलों में संतुलन बनाए रखना ठीक रहेगा। परिवार में शुभ संदेश प्राप्त होगा। धार्मिक कार्यों में भाग ले सकते हैं।

वृश्चिक



आर्थिक कारणों से अटकें हुए कार्य बनने लगेंगे। अटका हुआ धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक आय में वृद्धि होगी। व्यक्तिगत कार्यों से संबंधित यात्रा संभव है।

धनु



घर-परिवार में धार्मिक-सामाजिक समारोह सम्पन्न हो सकते हैं। धार्मिक कार्यों में भाग ले सकते हैं। परिवार में आपसी सहयोग-समन्वय बना रहेगा। धार्मिक कार्यों के लिए दिन अच्छा रहेगा।

मकर



घर-गृहस्थी के खर्चों में आनावश्यक वृद्धि हो सकती है। पारिवारिक कार्यों के कारण बाहर जाना पड़ सकता है। धार्मिक कार्यों पर धन खर्च हो सकता है।

कुंभ



आर्थिक वित्तीय मामलों के लिए दिन अच्छा रहेगा। आय में वृद्धि होगी। संभावित खोत से धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होगा।

मीन



व्यावसायिक कार्यों को प्राथमिकता से करने का प्रयास करें। व्यावसायिक मामलों में उचित धारणा मिल सकता है। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी। घर-परिवार में आज धार्मिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं।